आवश्यक

कार्यालय सचिव,राज्य परिवहन प्राधिकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक / 2809 / एसटीए / 2013 ग्वालियर दिनांक:- 1-4-2013

प्रति,

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी /
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी /
जिला परिवहन अधिकारी,
........................(समस्त)
(म0प्र0)

विषय:— ऑटो रिक्शा में यात्रियों के परिवहन की संख्या का निर्धारण ।

संदर्भ:— माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 34 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2013

उपरोक्त विषय में माननीय न्यायालय द्वारा पारित संदर्भ में वर्णित आदेश के क्रम में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा संकल्प क्रमांक 709 / 2013 दिनांक 19.03.2013 पारित किया है,जिसके द्वारा स्कूलों में संचालित ऑटो रिक्शाओं में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था विभिन्न स्थितियों में विभिन्न संख्या निर्धारित कर दी गई है ।

राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 709 / 2013 दिनांक 19.03.2013 की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि अपने–अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत संकल्प अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

संलग्न:— संकल्प की प्रति पृष्ठ 02

1/4/13

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / / एसटीए / 2013 ग्वालियर दिनांक:---

प्रतिलिपि:--

1. अपर मुख्य सचिव,परिवहन विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल ।
2. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) / संयुक्त परिवहन आयुक्त(प्रशासन) / उप परिवहन आयुक्त(वित्त),मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. संभागीय उप परिवहन आयुक्त(समस्त) .... ।
4. निज सहायक,परिवहन आयुक्त ।
5. प्रभारी,एसटीए शाखा / तकनीकी शाखा / प्रवर्तन शाखा / नीति शाखा,परिवहन आयुक्त कार्यालय मोतीमहल ग्वालियर ।

मूल प्रति STA संकल्प पंजी में

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
मध्यप्रदेश

राज्य परिवहन प्राधिकार (मध्य प्रदेश)

संकल्प

(क्रमांक 709/2013 दिनांक 19-3-2013)

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खंडपीठ, ग्वालियर द्वारा रिट याचिका कमांक 2510/2012 पारित आदेष दिनांक 10.12.2012 एवं रिव्यू पिटीशन क. 34/2013 में दिए आदेश दिनांक 24.01.2013 के द्वारा परिवहन प्राधिकारी को ऑटोरिक्शा में 12 वर्ष से कम आयु के स्कूल बच्चों के बैठने की संख्या निर्धारित करने के कम में निम्न निर्देश दिए हैं :--

1. ऑटोरिक्शा में अतिरिक्त बैठक क्षमता के लिए कोई फट्टी नहीं लगाई जाएगी ।
2. ऑटोरिक्शा में मोटरयान नियमों के तहत विद्यार्थियों की संख्या निश्चित हो ।

भारत के राजपत्र भाग 11 खण्ड 3(11) दिनांक 09 जून 1989 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ''ऑटोरिक्शा'' से वह तिपहिया मोटरयान अभिप्रेत है, जो भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक के अलावा तीन से अनाधिक (अधिक से अधिक तीन) यात्रियों को ले जाने के उपयोग के लिए बनाया गया है या अनुकूलित किया गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 1997 एम.सी. मेहता विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में पारित आदेश के पैरा क. 8 में शैक्षणिक संस्था की बस में बच्चों की संख्या बैठक क्षमता से 1.5 गुना से अधिक नहीं होगी निर्देशित किया गया । महाधिवक्ता ग्वालियर भी से अभिमत प्राप्त किया गया । जिसमें उन्होंने आटोरिक्शा में 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों के बैठने की क्षमता निश्चित करते समय आटो रिक्शा में बैठने वाले छात्रों को बैठने में असुविधा तो नहीं हो रही है, का ध्यान रखने हेतु अभिमत दिया है । स्थिति ज्ञात करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर द्वारा ऑटोरिक्शा में बच्चों को बैठाकर देखा गया उनके मतानुसार 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के अधिकतम 05 (पांच) बच्चों को ही बैठाया जा सकता है । उपर्युक्त सभी तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त दोनों याचिकाओं में पारित निर्णय के आलोक मे तथा म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 93 (1) में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आधी सवारी में गणना की जाएगी, को दृष्टिगत सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन निम्नानुसार विनिश्चत करता है :--

(1) आयु वर्ग के अनुसार ऑटो रिक्शा जिसकी बैठक क्षमता 3+1 है, में (चालक को छोड़कर) निम्नानुसार संख्या तक परिवहन किया जा सकेगा ।

स्थिति	12 वर्ष से अधिक आयु के (चालक को छोड़कर)	12 वर्ष से कम आयु के (चालक को छोड़कर)	योग
प्रथम स्थिति	01	03	04
द्वितीय स्थिति	02	02	04
तृतीय स्थिति	03	निल	03
चतुर्थ स्थिति	निल	05	05

(2) ऑटोरिक्शा में अतिरिक्त बैठक क्षमता के लिए कोई फट्टी नहीं लगाई जाएगी ।

(3) बच्चों को ऑरीजनल सीट पर बैठने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए ।

(4) ऑटोरिक्शा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु दोनों तरफ अस्थाई जाली लगाया जाना आवष्यक होगा । दांए तरफ की जाली फिक्स होगी तथा बांए तरफ की जाली अस्थाई होगी।

(5) ऑटोरिक्शा में आगे–पीछे "ऑन स्कूल ड्यूटी" लिखवाया जाना/बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

(6) फर्स्ट एड बॉक्स लगाया जाना अनिवार्य होगा ।

(7) अग्निशमन यंत्र लगाया जाना अनिवार्य होगा ।

(8) विद्यार्थियों के स्कूल बैग, पानी की बॉटल आदि रखने की उचित व्यवस्था रखेंगे ।

(संजय चौधरी)
सदस्य एवं
परिवहन आयुक्त
मध्य प्रदेश

मुख्य अभियंता लो.नि.वि.
सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
मध्य प्रदेश

(अंटोनी जे. सी. डीसा)
अध्यक्ष
राज्य परिवहन प्राधिकार
मध्य प्रदेश